न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 208 / 2024 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2024 / 507**
दायर दिनांक :– 20.12.2024 **निर्णय दिनांक :– 09.07.2025**

1. कोजाराम जटिया पुत्र जेठाराम जाति जटिया निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का इस आश्य से पेश किया कि वादी की पैतृक संयुक्त खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 626 रकबा 0.9712 हैक्टेयर सरहद मौजा बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप में स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि पूर्व में वादी के दादा हेमाराम जटिया के नाम दर्ज थी। वादी के दादा हेमाराम तथा वादी के पिता जेठाराम का देहान्त हो चुका है जबकि वादी के दादा हेमाराम फौत हुवे तो मुतवफी हेमाराम का फौतेदगी नामान्तरकरण भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त नामान्तरकरण में पटवारी हल्का ने वादी का नाम जो सही दर्ज कर दिया जबकि वादी की वल्दियत जेठाराम के स्थान पर हेमार दर्ज कर दी गयी जबकि वादी जेठाराम का पुत्र है तथा हेमारा पौत्र है लेकिन उक्त विरासत नामान्तरकरण में वादी की वल्दियत कोजाराम पुत्र जेठाराम के स्थान पर कोजाराम पुत्र हेमाराम दर्ज कर दी गई। वादी के पहचान संबंधित दस्तावेज राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि भी कोजाराम पुत्र जेठाराम के नाम से बने हुवे है तथा वादी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता है। वर्तमान राजस्व अभिलेख में वादी का नाम कोजाराम जटिया पुत्र हेमाराम दर्ज होने से वादी को के. सी.सी ऋण प्राप्त करने व अन्य कृषि संबंधित कार्य करने में भंयकर समस्याओं का सामना पड़ रहा है। वादिनी ने दिनांक 20.11.2024 को अपना नाम सही करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रतिवादी के समक्ष प्रस्तुत किया तो प्रतिवादी ने वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में दुरूस्त करने से मना कर दिया तथा समक्ष न्यायालय में चाराजोही करने को कहा, इसलिये वादी ग्राम बाप पटवार क्षेत्र बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 626 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि में गलत दर्ज वल्दियत कोजाराम पुत्र हेमाराम के स्थान पर कोजाराम जटिया पुत्र जेठाराम के नाम खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है। जिसका यह दावा पेश है।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर कोर्ट बाप

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर सिरेदार की रिपोर्ट ली जाकर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार बाप ने जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार बाप ने जवाब में कथन किया कि ग्राम बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 626 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि जरिये विरासत नामान्तरकण भरा जाकर स्वीकृत हुआ, जिसमे वादी की वल्दियत कोजाराम पुत्र हेमाराम दर्ज है जो वर्तमान जमाबंदी में दर्ज चला आ रहा है। वादी के साथ पेश पहचान संबंधित दस्तावेजों में वादी का नाम कोजाराम जटिया पुत्र जेठाराम जटिया दर्ज है। इसी अनुसार वादी का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है। इससे किसी प्रकार का राजहित प्रभावित नहीं होगा। प्रतिवादी की और से वाद का विरोध नहीं होने से तनकियात कायम नही की गई। वादी के बयान पी.डब्लू–1 कलमबद्ध किये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। पत्रावली बहस में रखी गयी।

अधिवक्ता वादी एव पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन, चिन्तन एवं मनन करने पर पाया गया कि जमाबंदी सम्वत 2078–2081 ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 626 रकबा 0.9712 हैक्टेयर स्थित है। वादी की वल्दियत राजस्व रेकर्ड में कोजाराम पुत्र हेमाराम दर्ज है। वादी के दादा फौत होने पर विरासत नामान्तरकरण में वादी को हेमाराम का पुत्र दर्ज कर दिया गया जबकि वादी जेठाराम का पुत्र है। वादी के बयान, पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं वाद पत्र के संलग्न आधार कार्ड अनुसार वादी की वल्दियत कोजाराम पुत्र जेठाराम है। वादी ने अपने वाद को साबित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजात एवं साक्ष्य सबूत पेश किये है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनानुसार वाद वादिनी स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 626 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी की गलत दर्ज वल्दियत कोजाराम पुत्र हेमाराम के स्थान पर कोजाराम पुत्र जेठाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। डिक्री पर्चा अलग से मुर्तिब हो। मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

कोर्ट बाप

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाप

बइजलास पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

1. कोजाराम जटिया पुत्र जेठाराम जाति जटिया निवासी बाप तहसील बाप जिला फलोदी

वादी..........

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बाप तहसील बाप जिला फलोदी (राज.)

प्रतिवादी.....

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मुकदमा संख्या :– 208/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौलंकी मिनजानिब मुदई व पैरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि ग्राम बाप पटवार हल्का बाप तहसील बाप के खसरा नम्बर 626 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में वादी की गलत दर्ज वल्दियत कोजाराम पुत्र हेमाराम के स्थान पर कोजाराम पुत्र जेठाराम के नाम से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप माफिक आदेश राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद कर पालना करे। नीचे

मुतालिक
खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर
वसूल याबी तक

बाबत्
फीस सदी सालाना आज की तारीख
को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 09.07.2025 को जारी की गई।

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्च यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।